

विषय:-

मंत्रिपरिषद् के विचार के लिए ज्ञापन तैयार/प्रस्तुत करने बारे हिदायतें ।

.....00.....

क्या सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार कृपया उपरोक्त विषय पर इस अनुभाग के अशा0 क्रमांक 10/11/2011-2कैबिनेट, दिनांक 19.08.2011 तथा इस सत्र में समय-समय पर जारी की गई हिदायतों की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

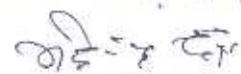
2. प्रायः यह देखने में आया है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा मंत्रिपरिषद् के विचार के लिये ज्ञापन तैयार/प्रस्तुत करते समय इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई हिदायतों/मार्गदर्शन का दृढ़ता से पालन नहीं किया जा रहा है ।

3. जब किसी मद/प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद् के सम्मुख रखने के लिए मुख्य मंत्री का अनुमोदन हो जाता है, तब संबंधित प्रशासकीय सचिव द्वारा निजी तौर पर ज्ञापन तैयार करना चाहिए । प्रशासकीय विभागों द्वारा अपने ज्ञापन में मंत्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, वित्त विभाग, विधि परामर्शी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई मंत्रणा/निर्देश को ज्यों का त्यों सम्मिलित किया जाना चाहिए और साथ ही उस संबंधित पत्र/अशा0 क्रमांक का भी उल्लेख किया जाये, जिसके द्वारा मंत्रणा दी गई है । जिन मामलों में वित्तीय विवेक्षा निहित हो या राज्य का वित्त प्रभावित होता हो तो उन मामलों को वित्त विभाग की सहमति/मंत्रणा प्राप्त करके ही ज्ञापन मंत्रिपरिषद् के सम्मुख रखा जाये । मामले को किस नियम/हिदायत के तहत मंत्रिपरिषद् के सम्मुख रखा जाना आवश्यक है, ज्ञापन में उस नियम/हिदायत का उल्लेख अवश्य किया जाये ।

4. प्रशासकीय विभागों द्वारा आमतौर पर ज्ञापन मंत्रिमण्डल अनुभाग में केवल उस समय भेजा जाता है जब परिषद् की बैठक होने की तिथि निश्चित हो जाती है और कभी-कभी तो अंतिम क्षण में भेजा जाता है, जिससे उनके प्रस्ताव का निरीक्षण करने के लिए मंत्रिमण्डल अनुभाग को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है । परिणाम स्वरूप कार्य में अनावश्यक बाधा आती है और परिषद् की बैठक की कार्यसूची को सभी संबंधित को भेजने में विलम्ब हो जाता है, जबकि हरियाणा सरकार कार्य संचालन नियमावली, 1977 के नियम 16 (2) में प्रावधान अनुसार परिषद् की बैठक में विचार-विमर्श किये जाने वाले मामलों को दर्शाने वाली कार्यसूची बैठक की तिथि से पूरे दो दिन पहले मंत्रियों/मुख्य मंत्री/राज्यपाल के पास पहुंच जानी चाहिए । अतः यह निर्णय लिया गया है कि मामले को परिषद् के सामने लाये जाने का निर्णय हो जाने उपरान्त उक्त वर्णित नियमावली के नियम 14 में वर्णन अनुसार प्रशासकीय विभाग ज्ञापन तैयार करके इसकी साफ-सुथरी, अंग्रेजी तथा हिन्दी में 35 प्रतियां बैठक की निश्चित तिथि के कम से कम 72 घंटे पहले सचिव, मंत्रिपरिषद् को अवश्य भिजवाए ।

5. प्रायः यह देखने में आया है कि जो मामले मंत्रिपरिषद् की बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं, उनकी गोपनीयता बनाये रखने के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । भविष्य में प्रशासकीय विभागों द्वारा मंत्रिपरिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने वाले ज्ञापनों की गोपनीयता बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये ।

6. तदनुसार सभी प्रशासकीय विभागों से पुनः अनुरोध है कि भविष्य में मंत्रिपरिषद् के विचार के लिये ज्ञापन तैयार/प्रस्तुत करते समय इन हिदायतों/मार्गदर्शन का दृढ़ता से पालन किया जाये ।



अवर सचिव, मंत्रिमण्डल
कृते: सचिव मंत्रिपरिषद् हरियाणा

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/प्रशासकीय सचिव,
हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ ।